इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2013—श्रावण 12, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 22-5-2008-आठ.—राज्य शासन केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-05-2008-आठ, दिनांक 10 जुलाई 2013 को अधिक्रमित करते हुए यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

	(क) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, **लाल बत्ती** जब यान प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हो, (1)		(ख) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, **पीली बत्ती** (उनके अधिकार क्षेत्र में) (2)
1.	राज्यपाल	1.	शासन द्वारा मंत्री / राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त गणमान्य
2.	मुख्यमंत्री	2.	मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी
3.	मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय	3.	मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव
4.	महाधिवक्ता / अपर महाधिवक्ता	4.	पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी
5.	विधान सभा अध्यक्ष	5.	नगर निगमों के महापौर (अपने अधिकार क्षेत्र में)
6.	विधान सभा उपाध्यक्ष	6.	नगरपालिकाओं के अध्यक्ष (अपने अधिकार क्षेत्र में)
7.	मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण	7.	जिला पंचायत के अध्यक्ष (अपने अधिकार क्षेत्र में)
8.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	8.	संभागीय आयुक्त (अपने संभागों में)

(1)		(2)	
9.	नेता प्रतिपक्ष	9.	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (अपने रेन्ज में)
10.	लोकायुक्त / उप लोकायुक्त	10.	कलेक्टर / अपर कलेक्टर (अपने जिले में)
11.	अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग	11.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला न्यायाधीश / मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / समस्त न्यायिक अधिकारी (अपने जिले में)
12.	मुख्य सचिव	12.	पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपने जिले में)
13.	पुलिस महानिदेशक	13.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ एसडीएम/ एसडीओपी / सीएसपी (अपने अनुभाग में)
		14.	कार्यपालिक दण्डाधिकारी (अपने कार्य क्षेत्र में)
		15.	राज्य शिष्टाचार अधिकारी

(ग) रोगियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त एंबुलेंस में लगाई गई परपल ग्लास वाली ब्लिंकर किस्म की लाल लाईट.

(घ) टॉप लाईट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाईट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकोर्टिंग करने वाले तक सीमित होगा जो लाल लाईट का उपयोग करने के हकदार है.

(ङ) उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथास्थिति, लाल, नीली या पीली लाईट का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढका जायेगा.

(च) पीली बत्ती की अनुज्ञा प्राप्त पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विन्ड स्क्रीन पर चस्पा कर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.